विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-27 का

उत्तरालेख्य

प्रश्न	उत्तर
27 (क) क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि आयुष विभाग द्वारा नियमों को अनदेखा कर सी0पी0ए0टी0- 2016 "शासनादेश संख्या-2316/71/आयुष-1-2016-चि0शि0-2" दिनांक 04.07.2016 को लागू किये जाने से हजारों छात्रों का भविष्य संकट में आ गया है ?	जी नहीं।
(ख) क्या उक्त शासनादेश लागू किये जाने में जिन नियमों/तथ्यों को अनदेखा किया गया है, का उल्लेख करते हुए बिन्दुवार बिन्दुओं के साथ चेयरमैन केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जॉच संस्थान का पत्र, दिनांक 08 अगस्त, 2022 जोकि अपर मुख्य/प्रमुख सचिव, आयुष विभाग को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हॉ।
(ग) यदि हॉ, तो हजारों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिन संस्थानों द्वारा Minimum standards of education in Indian Medicine regulations-1986 संशोधन, दिनांक 7 नवम्बर, 2016 की धारा-2 का पालन किया है, का परीक्षा परिणाम घोषित कराने एवं आगामी लम्बित परीक्षाओं को तत्काल करायेंगे?	शासनादेश संख्या-2962/71-आयुष-1-2016-345/2016 दिनांक 17 अगस्त, 2016 के आलोक में काउंसिलिंग के माध्यम से संस्थाओं में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के परीक्षा परिणाम की कार्यवाही लम्बित नहीं है।
(घ) यदि हॉ, तो कब तक?	प्रश्न नहीं उठता।
(ड.) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

डा0 दयाशंकर मिश्र 'दयालु'
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।